न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :37/2021

वादीगण–

1. मुलाराम पुत्र मेघाराम
   जाति–जाट निवासी–जायल,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रूकमा देवी पत्नी मेघाराम
2. किरण पुत्री मेघाराम
3. अन्जू पुत्री मेघाराम उम्र 15 वर्ष नाबालिक जरिये संरक्षक माता रूकमा देवी
   जाति– जाट निवासी– जायल, तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 02/08/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा बालाजीनगर तहसील जायल में खेत खसरा नं. 497 रकबा 6.1188 हैक्टेयर, खसरा नंबर 498 रकबा 7.0172 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खेताय जो वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुश्तैनी बडेर की भूमि होने से वादी का हक अधिकार रहता रहा है। वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी की आड़ में भूमि का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तानान्तरण करने पर उतारू है ऐसी आंशका होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से इस संबध में बात की तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान हस्तान्तरण करने की बात कही। वादी समझ समझाईश से अपनी माता के साथ मुतदाविया खेताय पर कृषण काश्त कर रहा है। वादी का जन्म से हक अधिकार होने से परन्तु खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने के कारण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण व अन्जू को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 03.03.2021 को ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पहचान अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मुलाराम पुत्र मेघाराम , नकल जमाबन्दी ग्राम बालाजी नगर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 104 प्रदर्श–1 पेश हुये। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 03.03.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 03.03.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा बालाजीनगर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 497,498 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त खातेदार में चाहे जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि वादी मुलाराम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण,अन्जू को मौजा बालाजीनगर के खेत खसरा नंबर 497 व 498 में प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा देवी के साथ में संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

02/8/2021

(रविन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :37/2021

वादीगण–

1. मुलाराम पुत्र मेघाराम
जाति–जाट निवासी–जायल,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रूकमा देवी पत्नी मेघाराम
2. किरण पुत्री मेघाराम
3. अन्जू पुत्री मेघाराम उम्र 15 वर्ष नाबालिक जरिये संरक्षक माता रूकमा देवी
जाति– जाट निवासी– जायल, तहसील जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी मुलाराम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण,अन्जू को मौजा बालाजीनगर के खेत खसरा नंबर 497 व 498 में प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा देवी के साथ में संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 37 / 2021
मुलाराम बनाम् रूकमा देवी वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....02/8/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्रे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

2/8/2021
सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. जायल

(देवेन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner